

13 JAN 2018

85.77

मध्यप्रदेश शासन
विकित्सा विद्यालय
गंगालय, वल्लभ अवल, जोपाल

Reb
Copy
End Date
Paramedical

भोपाल, दिनांक 30 दिसम्बर, 2017

क्र. एफ 5-73/2015/1/55

राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश सह-चिकित्सीय परिषद अधिनियम 2000 (क्रमांक 1, सन 2001) की धारा-24 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में करते हुए मंशक वेलफेर सोसायटी द्वारा संचालित इडेवस मैडिकल कॉलेज थॉरिप्टर एण्ड रिसर्च सेंटर, को इन्दौर जिले में निम्नानुसार पिष्य तथा प्रदेश संख्या के आधार पर शिक्षण सत्र 2017-18 (एक वर्ष) के लिए पैरामेडिकल पाठ्यक्रम संचालित करने की सशर्त अस्थायी अनुमति प्रदान की जाती है।

क्र.	पाठ्यक्रम का नाम	टिक्री/डिप्लोमा/प्रमाण —पत्र पाठ्यक्रम	सीकृत सीट
01	MEDICAL LAB. TECHNICIAN	DEGREE	50
02	BACHELOR OF PHYSIOTHERAPY	DEGREE	50
03	BACHELOR SPEECH THERAPY	DEGREE	50
04	MEDICAL LAB. TECHNICIAN	DIPLOMA	50
05	DIALYSIS TECHNICIAN	DIPLOMA	50
06	O. T. TECHNICIAN	CERTIFICATE	50
07	X-RAY TECHNICIAN	CERTIFICATE	50
08	ULTRA SOUND .TECHNICIAN	CERTIFICATE	50
09	C.T.M.R.I TECHNICIAN	CERTIFICATE	50

आवश्यक निर्देश —

1. रास्था को मप्र सह-चिकित्सीय परिषद के समरत नियम-विनियम अनुसार प्रवेश तथा अन्य कार्यवाही संपन्न कर परिषद द्वारा जारी पाठ्यक्रम अनुसार शिक्षण करवाना होगा। पैरामेडिकल पाठ्यक्रमों में संख्या द्वारा परिषद द्वारा निर्धारित अंतिम तिथि 30 दिसम्बर 2017 तक छात्रों के प्रवेश किए जा सकेंगे।
2. मध्यप्रदेश सह-चिकित्सीय परिषद के नियम-विनियम अनुरूप निर्धारित रास्था द्वारा महाविद्यालय में उपयुक्त/योग्य शैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति सत्र प्रारंभ होने के पूर्व की जाना आवश्यक होगा तथा परिषद को यथाशीघ्र सूचित किया जाएगा।
3. संख्या द्वारा मप्र सह-चिकित्सीय परिषद द्वारा बनाये गये प्रवेश नियमों के अनुसार ही छात्रों के प्रवेश की कार्यवाही की जावेगी।
4. शासन/परिषद की ओर से समय-समय पर किए जाने वाले सामान्य एवं आकस्मिक निरीक्षण के दौरान संख्या द्वारा आवश्यक सहयोग किया जाएगा।
5. संख्या को उपरोक्त समरत राज्य-चिकित्सीय पाठ्यक्रमों में प्रधेशित छात्रों की विषयवार सत्यापित सूची (छात्र का नाम, पिता/पति का नाम, शैक्षणिक अर्द्धता, प्रवेशित पाठ्यक्रम का नाम, ग्रोप का एवं दिनांक, जन्मतिथि, निवास जा. पता, जाति, मूल निवासी भाषा) निर्धारित तिथि तक मप्र सह-चिकित्सीय परिषद को दिनांक 15 जनवरी 2018 तक अनिवार्य रूप से एमीओनलाइन के गार्डम से जाना करनी होगी। निर्धारित तिथि के पश्चात निमग्नतार परिषद प्रतिदिन प्रति छात्र एक हजार का विलम्ब शुल्क प्राप्त वर सकेगी। जिसके लिए सख्त जिम्मेदार होगी।
6. संख्या द्वारा प्रवेशित छात्रों की सूची परिषद कार्यालय में जाना करने समय शासन द्वारा जारी इस आदेश की भाष्याप्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
7. मध्यप्रदेश सह-चिकित्सीय परिषद द्वारा कैरामेडिकल पाठ्यक्रमों के लिए निर्धारित उचिकतम शिक्षण शुल्क के अनुसार ही संख्या को कार्यवाही करना आवश्यक होगा।

-1-

Received
Dr. RAVINDRA KUMAR
M/o/ke
15/1/18

8. उपरोक्त आदेश जारी होने के एक सालाह के भीतर संस्था को म.प्र.सह-चिकित्सीय परिषद के पक्ष में पांच लाख की छैंक गारंटी (न्यूनतम वैद्यता अवधि दो वर्ष) निष्पादित कर मूल प्रति म.प्र. सह-चिकित्सीय परिषद को प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
 9. डिफ्लोमा सह-चिकित्सीय पाठ्यक्रमों में छात्रों के प्रवेश के पूर्व संस्था को संबंधित विश्वविद्यालय से संबंद्धता प्राप्त करना आवश्यक होगा।
 10. मध्यप्रदेश सह-चिकित्सीय परिषद अधिनियम 2000 (क्रमांक 1, सन 2001) की धारा-44 (1) एवं (2) में उल्लेखित ग्रावधानों के परिणाम्य में राह-चिकित्सीय पाठ्यक्रम उर्त्तीण अमार्थियों को परिषद में नामांकन (पंजीयन) इतु संस्था द्वारा से समस्त आवश्यक कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित किया जाए। इस प्रकार संस्था से उर्त्तीण छात्रों को मध्यप्रदेश सह-चिकित्सीय नामांकन (पंजीयन) की सम्पूर्ण जबाबदारी संस्था की होगी।
 11. मध्यप्रदेश सह-चिकित्सीय परिषद अधिनियम 2000 (क्रमांक 1, सन 2001) की धारा-33 (1) (2) एवं (3) में उल्लेखित ग्रावधानों के परिणाम्य में संस्था में पूरे किए जाने वाले पाठ्यक्रम और दी जाने वाली परीक्षा अथवा उसके द्वारा ली गई परीक्षा में अभियार्थियों से अपेक्षित प्रवीणता वा संस्था में कर्मचारीवन्द, उपस्कर, वास-सुविधा, प्रशिक्षण तथा उसमें दिये जाने वाले शिक्षण और प्रशिक्षण की अन्य सुविधाएं मध्यप्रदेश सह-चिकित्सीय परिषद द्वारा विहित रूपों को अनुरूप नहीं पार जाने पर राह-चिकित्सीय संस्था को सह-चिकित्सीय पाठ्यक्रमों के संवालन बाबत दी गई अनुज्ञा/मान्यता किसी भी समय समाप्त की जा सकेगी।
 12. निर्धारित समयावधि में बैंक गारंटी की प्रति मध्यप्रदेश सह-चिकित्सीय परिषद में प्रस्तुत नहीं करने पर संस्था द्वारा सह-चिकित्सीय पाठ्यक्रमों में प्रयोगित छात्रों को परिषद द्वारा सह-चिकित्सीय पाठ्यक्रमों में प्रवेशित छात्रों को परिषद द्वारा आवृत्तित परीक्षा में सम्भिलित नहीं किया जाएगा।

मध्यप्रदेश के सचिवाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(शामिला दाकर)

અચાન્ક સાહિત્ય

ମଧ୍ୟପଦେଶ ଉତ୍ତରାଞ୍ଚଳ

यिकिल्या डिशा दिशा

મોદાલ, દિનાંક 30 ડિસેમ્બર 2017

પદ્ધતિકાળ નં. ૯૦૬ ૫-૭૩ /૨૦૧૫ /૧ /૫૫

प्रतिलिपि :- सूचनार्थी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

- पिशेष सहायक, मान संस्थी जी, मध्यप्रदेश शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग, भोपाल
 - प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, आदिम जाति कल्याण विभाग, भंश्रालय, भोपाल
 - आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा, मध्यप्रदेश, सतमुडा भवन भोपाल
 - आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश, भोपाल
 - आयुक्त, आयुष, मध्यप्रदेश, भोपाल
 - आयुक्त, इन्फोर सभाग, इन्दौर
 - कलेक्टर, जिला— इन्दौर
 - कुलसंघिय, मध्यप्रदेश आयुषिक्षान विश्वविद्यालय, जबलपुर
 - कुलसंघिय, देवी कठिला विश्वविद्यालय, इन्दौर
 - अधिकारी, महारासा गांधी राजि विकित्सा महाविद्यालय, इन्दौर
 - मुख्य विनियोग एवं रकार्य अधिकारी, जिला— इन्दौर
 - रिपिल स्कॉल राह मुख्य अधिकारी अधीक्षक जिला— इन्दौर
 - जिला संघीजय, डीपिय जाति अन्याय जिला— इन्दौर
 - रजिस्ट्राटर मध्यप्रदेश सह-प्रिवेसी परिषद, हृतीय तल, प्लॉटेनग म्हाडा, भोपाल
 - Director, National Information Center, Madhya Pradesh, State Center Vindhya Chal Bhawan, Bhopal
 - राजातक, इंडियन एजिकेट बारेंज कॉर्पोरेशन एड रिसोर्स एन्ड ट्रांस लिमिटेड, राजातक रोड, राजगढ़ रोड, राजगढ़ राजगढ़ 59-५ इन्दौर
 - आदिम फाईल

अपार शायद
प्राचीन भाषा
प्रैक्टिक शिक्षा केंद्र